

की सहायतार्थ एक या एक से अधिक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने में सक्षम हैं। मतदान दलों के गठन हेतु निर्देश आयोग के पत्र क्रमांक 4038 दिनांक 09.10.2025 द्वारा जारी किए हुए हैं। मतदान दलों में केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक, संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक, अत्यावश्यक सवाओं से संबंधित कार्मिक, ऐसे कार्मिक जो किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार से सम्बद्ध हो एवं दिव्यांग कार्मिकों को यथासंभव मतदान दल में नियुक्त नहीं किया जाए।

मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों के रेन्डमाईजेशन हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदान एवं मतगणना दलों के गठन की कार्यवाही करने हेतु आवश्यक व्यवस्था कर लें।

5. **मतपत्रों का मुद्रण :-** नगरीय निकायों के आम चुनाव, 2026 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) द्वारा कराए जाएंगे। उक्त के क्रम में आयोग के पत्रांक 578 दिनांक 16.01.2026 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। ईवीएम की मतदान यूनिट में लगाने हेतु मतपत्र का डिजाइन आयोग के आदेश क्रमांक 521 दिनांक 15.01.2026 (सांविधिक आदेश संख्या 144/2026) द्वारा विहित किया गया है। डाक मतपत्रों के सम्बन्ध में आयोग का आदेश क्रमांक 572 दिनांक 16.01.2026 (सांविधिक आदेश संख्या 147/2026) के द्वारा डाक मतपत्र का प्ररूप विहित किया गया है। मतपत्र के मुद्रण हेतु कागज की आपूर्ति फर्म मै. श्री एन्टरप्राइजेज द्वारा जिला मुख्यालय पर की जा चुकी है। ईवीएम मतपत्र एवं निविदत्त मतपत्र का मुद्रण और जहां आवश्यकता है, वहां डाक मतपत्र का मुद्रण क्रमशः आयोग के पत्रांक 1896 दिनांक 18.02.2026 एवं पत्रांक 1891 दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों के अनुसार आपको अपने स्तर पर ही निजी मुद्रणालयों से कराया जाना है। मतपत्र मुद्रण का कार्य पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता के साथ सम्पादित कराये जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाये।
 6. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उपलब्धता एवं आवंटन :-** आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा संपादित कराये जाने हैं। उक्तानुसार चुनाव कार्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की आवंटित M3A मॉडल की ईवीएम मशीनें एवं मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की MPMV मशीनों तथा आयोग के स्वामित्व की ECIL की MPSV एवं BEL की MK-V मॉडल की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार 25 जिलों में उपलब्ध SEC मध्यप्रदेश के स्वामित्व की प्राप्त की गई MPMV मशीनों तथा आयोग के स्वामित्व की ECIL की MPSV मशीनों की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) का कार्य संबंधित कम्पनी ECIL/BEL के इंजिनियर्स/तकनीशियन द्वारा करवाई जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की आवंटित M3A मॉडल का FLC कार्यक्रम आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। FLC उन मशीनों की भी होगी जो कि प्रशिक्षण में काम आयेगी। ईवीएम की FLC का कार्य पूर्ण होने के पश्चात आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मशीनों का भण्डारण सुरक्षित अभिरक्षा में किया जाए। अतः उक्तानुसार ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच की प्रारम्भिक तैयारियां करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- ईवीएम ट्रेकिंग हेतु सॉफ्टवेयर ई-सूची पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके लॉगिन पासवर्ड आपको उपलब्ध करवा दिये गये हैं। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिलों में ईवीएम के संधारण, वितरण एवं मतदान केन्द्रों को आवंटन हेतु रेन्डमाईजेशन की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।
7. **मतदान सामग्री:-** ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच की सामग्री में से आंशिक सामग्री का वितरण किया जा चुका है एवं शेष रही सामग्री का वितरण शीघ्र किया जाएगा। मतदान सामग्री यथा फॉर्म, लिफाफे, पुस्तकें आदि का मुद्रण कार्य आयोग द्वारा करवाया जा रहा है। जिनके मुद्रण उपरांत मतदान सामग्री के वितरण की तिथियों की सूचना से आपको शीघ्र ही अवगत करवा दिया जायेगा। आयोग द्वारा आपको SDMM/DMM लिफाफे, पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं ई.वी.एम. की प्रथम स्तरीय जाँच से संबंधित पिंक पेपर सील (नासिक) स्ट्रीप सील उपलब्ध कराये जायेंगे जिसके आवंटन हेतु दिनांक नियत कर सामग्री प्राप्त करने हेतु आपको यथाशीघ्र सूचित कर दिया जावेगा।
 8. **वाहन किराया, पीओएल एवं यात्रा भत्ता आदि :-** वाहन किराया, पीओएल आदि के सम्बन्ध में विभिन्न वाहनों के लिए दरों का निर्धारण आयोग के पत्रांक 622 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा किया जाकर प्रति आपको प्रेषित की जा चुकी है। यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में आयोग के पत्रांक 528 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

9. बजट आवंटन :- 196 नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली एवं आम चुनाव-2026 के लिए प्रारम्भिक बजट का आवंटन आयोग के पत्रांक 2515 दिनांक 23.03.2026 एवं पत्रांक 2521 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को किया जा चुका है। नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली एवं आमचुनाव 2026 के लिए प्रारम्भिक बजट का आवंटन पत्रांक 3219 दिनांक 27.04.2026 एवं पत्रांक 3213 दिनांक 27.04.2026 द्वारा किया गया है। मतदान दलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिवस पर अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश आयोग के पत्रांक 541 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं।

10. प्रशिक्षण:- आगामी आम चुनावों में उपयोग ली जाने वाली ईवीएम मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षण समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स हेतु शीघ्र आयोजित किया जाएगा। जिसके उपरान्त आप द्वारा अपने स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चुनाव कार्य में नियोजित किये जाने वाले अन्य कार्मिकों को भली-भाँति प्रशिक्षित कर दें।

11. चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना:- जिला स्तर पर चुनाव की व्यापक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभारी नियुक्त कर लिया जावे।

12. नगरपालिका निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश एवं पुस्तकें :-

(i) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम-1994 एवं राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 एवं यथोचित संशोधन को सम्मिलित करते हुए आयोग द्वारा एक पुस्तिका 'Manual of Municipal Law 2026' तैयार की गई है जो की आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध है तथा उक्त पुस्तक आयोग के स्टोर से भी उपलब्ध करवा दी गई है।

(ii) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकायों के आगामी आम चुनावों हेतु भी आयोग द्वारा स्थाई/अस्थायी प्रकृति के नवीन आदेश जारी किए गए हैं, जिनकी प्रति आपको ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है एवं आदेश/निर्देश आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। गत आम चुनावों के समय एवं इसके पश्चात् समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण आदेशों के संकलन हेतु आयोग द्वारा एक पुस्तिका 'नगरपालिका चुनाव के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2026' तैयार कर आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध है।

(iii) पीठासीन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका 2026 तैयार कर आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं उक्त पुस्तक आयोग के स्टोर से भी उपलब्ध करवा दी गई है।

(iv) आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश वेबसाईट पर भी अपलोड किये जाते हैं तथा समस्त आदेश/निर्देश सम्बन्धी पत्रादि आयोग द्वारा आपको हार्ड प्रतियों के रूप में प्रेषित नहीं किये जाकर ई-मेल के माध्यम से ही भिजवाये जायेंगे।

आज्ञा से,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 15.07.2026

क्रमांक : एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/04-09/4854-S9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त संबंधित को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(रुचि अग्रवाल)
उप विधि परामर्शी